Mussalman Wakf (Repeal) Bill, 2024

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I beg to move:

?That leave be granted to introduce a Bill to repeal the Mussalman Waqf Act, 1923.?

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

?कि मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री ईटी मोहम्मद बशीर । क्या आप आइटम नंबर 14 पर बोलना चाहते हैं? यह दूसरा बिल है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री बैन्नी बेहनन, श्री के. राधाकृष्णन,

श्री सौगत राय जी ।

प्रो**.** सौगत राय **(**दम दम**)** : सर, यह जो बिल है, मुसलमान वक्फ कमेटी को वापस लेने ? (व्यवधान) ओवैसी जी, मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलें । ? (व्यवधान) कोई बुरी बात नहीं है । ? (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी **(**हैदराबाद**) :** सर, डिवीजन मेरा राइट है । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** अभी मंत्री जी प्रस्ताव लाएंगे ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** इनके बोलने के बाद लाएंगे ।

? (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY : Sir, under Rule 72(1), I oppose the introduction of this Bill.? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** एक मिनट । अभी माननीय मंत्री जी प्रस्ताव ला रहे हैं । यह बिल और वह बिल एक ही है । यह सेकेंड पार्ट उसको रिपील करने का बिल है

? (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सर, एक ही बिल है । इसमें रिपील करने की बात है । इसमें मैं दो ही चीज बोलना चाहता हूं । संदेह यह होता है कि सरकार मुसलमान वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है । सारे देश में वक्फ बोर्ड के हाथ में 8.7 लाख प्रॉपर्टी है, जिसका पूरा एरिया एक्रास इंडिया 9.4 लाख एकड़ है । उसकी एस्टीमेटेड वैल्यू 1.2 लाख करोड़ रुपये है । सरकार इस पर दखल करना चाहती है । जो कलैक्टर की बात की गई है, पहले तो कलैक्टर नहीं था, सरकार इसमें इंटरफेयर करना चाहती है । ये बोलते हैं कि दो मुस्लिम वूमेन और दो नॉन मुस्लिम मेम्बर्स ऑन द बोर्ड, अगर नॉन मुस्लिम मेम्बर बोर्ड में जाएगा तो वक्फ बोर्ड की जो सैंक्टिटी है, वह खराब हो जाएगी ।? (व्यवधान) It is a Muslim property gifted by a Muslim for the benefit of Muslims. यह नॉन मुस्लिम नहीं होना चाहिए ।

Sir, it also introduces the District Collector as an arbiter to decide whether a property is a property of the Waqf Borad or it is a Government property. इसलिए, मुसलमान वक्फ एक्ट बिल को विदड्रा करने की जो कोशिश है, मै उसका पूरा विरोध करता हूं । किरेन रिजिजू जी ने एक घंटा बोला है । हमारे कुलिग ओवैसी साहब ने पहले वाले बिल पर डिविजन मांगा है, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं । यह बहुत सेंसिटिव बिल है । इसमें कोई जल्दबाजी और कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए । पार्लियामेंट का जो कानून है, आपने चर्चा का मौका दिया, सब लोगों ने बोला, लेकिन अभी ये डिविजन चाहते हैं तो डिविजन कराइए । इसमें क्या हर्ज है । यह पूरी चीज सरकार के हाथ में नहीं जानी चाहिए । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ओके ।

माननीय मंत्री जी ।

? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : सर, मैंने जो एक्ट रिपील का मूव किया है, उसे मैं मूव कर चुका हूं । जो मुसलमान वक्फ एक्ट, 1923 रिपीलमेंट का है, उसको तो रिपील कर लीजिए ।? (व्यवधान) यदि आप जानना चाहते हैं, तो मैं बताऊंगा ।

माननीय अध्यक्ष: आप दो मिनट बता दीजिए ।

? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : सर, मैं दो मिनट में बता देता हूं ।

सर, रिपीलमेंट में, The Mussalman Waqf Act was brought into force on 5th August, 1923 and was applied to whole of the then British India. ? (व्यवधान) आप सुनिए । वह कानून स्टेच्युटरी बुक में रहना ही नहीं चाहिए था । इतने साल तक रहा, उसको रिपील करना चाहिए । It was applied to the then British Baluchistan and Santhal Parganas. मैं उस समय का जुरिस्डिक्शन बता रहा हूं ।

Sir, the Waqf Act, 1954 which enacted the laws of Waqf for the first time in Independent India provides vide Section 69 (1) (5) that the Musssalman Waqf Act,1923 does not apply to anyone governed by the 1954 Act. वर्ष 1923 मुसलमान वक्फ

एक्ट इन इफेक्ट रिडंडेंट हो चुका है । यह एप्लीकेबल नहीं है । इन इफेक्ट यह रिडंडेंट हो चुका है, इसलिए स्टेच्युटरी बुक में नहीं रहना है । इसलिए मैं यह रिपील अमेंडमेंट लाया हूं ।

माननीय अध्यक्ष**:** आप इसको भी कमेटी में भेज रहे हैं न?

? (व्यवधान)

गृह मंत्री**;** तथा सहकारिता मंत्री **(**श्री अमित शाह**) :** अध्यक्ष जी, यह एक्ट एक्चुअल में वर्ष 1995 एक्ट और वर्ष 2013 का अमेंडमेंट एक्ट लाने के बाद अस्तित्व में नहीं है । हम इसको कागज पर से निकाल रहे हैं । इसमें बस इतना ही है । मैं मानता हूं कि इसमें विपक्ष सहमत होगा । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है :

?कि मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।?

? (व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, I want division.

डॉ**.** निशिकान्त दुबे **(**गोड्डा**) :** महोदय, मैं प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष **:** बोलिए ।

डॉ**.** निशिकान्त दुबे**:** महोदय, नियम 67 यह कहता है कि यदि दो आइडेंटिकल बिल्स एक साथ हैं, तो एक बिल को सरकार वापस ले सकती है । यह नियम कहता है । इसमें डिवीजन की कौन-सी बात है? नियम है, वह यह कह रहा है । ये दोनों आइडेंटिकल बिल्स हैं । एक 1923 का बिल है, जिसको हटाकर वक्फ अधिनियम, 1995 को लाया जा रहा है । दोनों बिल्स एक हैं । यही तो नियम कह रहा है ।?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप बोलिए ।

SHRI ASADUDDIN OWAISI: I demand a division, Sir. This is my right. I want a division, please.

माननीय अध्यक्ष **:** आपका अधिकार तो है, लेकिन इस पर कैसे आपका अधिकार बनेगा?

श्री असादुद्दीन ओवैसी**:** महोदय, मैं तो शुरू से बोल रहा हूं कि डिवीजन चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष **:** आप शुरू से तो बोल रहे हैं ।

श्री असादुद्दीन ओवैसी**:** महोदय, आप ही नहीं सुन रहे हैं, तो मैं क्या करूं? मेरा अधिकार है । अगर अध्यक्ष ही नहीं सुनेंगे, तो कैसे चलेगा? मैं तो शुरू से बोल रहा हूं कि डिवीजन करवाइए, डिवीजन करवाइए ।?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है :

?कि मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, I introduce the Bill.